IndiaFirst
LIFE INSURANCE

Publication: Hindustan **Date: Monday, 15th September, 2014**

Edition: Delhi

खाते में सीधे जमा होगी बीमा राशि

नई दिल्ली | दीप्ति भास्करन

बीमा क्लेम मिलने में देरी, पॉलिसी बीच में खत्म करने पर मिलने वाली राशि (सरेंडर वैल्यू) का चेक समय से नहीं मिलने और भागदौड़ की वजह से लोग बीमा कराने से बचते हैं। लेकिन इस साल अक्तूबर से यह सब आसान हो जाएगा। बीमा पॉलिसी में किसी भी तरह की राशि सीधे आपके खाते में जाएगी।

इसके साथ ही अगले साल फरवरी से बीमा पॉलिसी में मिलने वाली किसी भी राशि की जानकारी कंपनी की वेबसाइट से सीधे हासिल कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2013-14 में बिना दावे वाली राशि 5,000 करोड़ रुपये थी। ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए बीमा नियामक इरडा के दिशा-निर्देश बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

इरडा ने दिए निर्देश

बीमा नियामक इरडा ने बीमा कंपनियों को बीमाधारक के खाते में सीधे राशि जमा करने का दिशा-निर्देश दिया है। इसके साथ ही नियामक ने 31 जनवरी 2015 तक कंपनियों को बीमा के एवज में बिना दावे की राशि (अनक्लेम्ड अमाउंट) की जानकारी अपनी वेबसाइट पर देने को कहा है।

कंपनियों को यह सुविधा मुहैया करानी होगी जिससे बीमाधारक पॉलिसी के बारे में आसानी से जानकारी हासिल कर सकें। कंपनियों को वेबसाइट पर छमाही आधार पर जानकारी को अपडेट करना होगा। बीमा पॉलिसी के परिपक्व होने, प्रीमियम वापस होने, बीमाधारक की मृत्यु होने पर मिलने वाली राशि और पॉलिसी पर अन्य तरह के लाभ की राशि का दावा छह माह से अधिक तक नहीं किया जाता है तो उसे बिना दावे वाली राशि कहा जाता है।

नाम और जन्म दिन से जानकारी

बीमाधारक या उनके नॉमिनी बिना दावे वाली राशि की जानकारी महज बीमाधारक का नाम और जन्म की तारीख से कंपनियों की वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। बीमा कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर इस तरह की सुविधा देनी होगी जिससे बिना दावे वाली राशि से संबंधित बीमाधारक अपना नाम, पॉलिसी संख्या, जन्म की तारीख और पैन नंबर की मदद से बिना दावे वाली राशि की जानकारी हासिल कर सकें। इसमें नाम और जन्म की तारीख अनिवार्य होगी जबकि पॉलिसी संख्या और पैन नंबर वैकल्पिक होगा। इरडा ने बीमा कंपनियों को कहा कि 1,000 रुपये से अधिक की बिना दावे वाली राशि की जानकारी उन्हें वेबसाइट पर देनी होगी।

कैसे जमा होगी राशि

इरडा के नए दिशा-निर्देश के मुताबिक टर्म प्लान और गैर-जीवन बीमा के मामले में 25,000 रुपये से अधिक राशि सीधे बीमाधारक या उसके नॉमिनी के खाते में (इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसफर) जाएगी। टर्म प्लान जीवन बीमा के तहत आता है। टर्म पॉलिसी में केवल बीमा कवर मिलता है जिसकी वजह से यह बेहद सस्ती होती है। इसके तहत यदि बीमाधारक की मृत्यु हो जाती है तो राशि का भुगतान नॉमिनी को होता है लेकिन पॉलिसी अवधि तक बीमाधारक जीवित रहता है तो उसे किसी तरह का लाभ नहीं मिलता है जो अन्य पॉलिसी में मिलता है। नए पॉलिसीधारक के मामले में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर अनिवार्य होगा जबकि वर्तमान पॉलिसीधारक के मामले में यह वैकल्पिक होगी। क्लेम के समय नॉमिनी को अपने बैंक खाता संख्या की जानकारी बीमा कंपनी को मुहैया करानी होती है। बीमाधारकों या उनके नॉमिनी को मिलने वाली राशि आमतौर पर चेक या ड्राफ्ट से दी जाती है। चेक और ड्राफ्ट डाक या कूरियर से जाने की वजह से कई बार देर हो जाता है साथ ही इनकी तय सीमा भी होती है जिसके खत्म होने पर दोबारा भागदौड़ करनी पड़ती है। इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की प्रमुख (ऑपरेशंस), अनसूया घोष का कहना है कि उपभोक्ताओं को इससे बहुत सुविधा होगी क्योंकि संबंधित राशि तुरंत उनके खाते में जमा हो जाएगी। इससे अब चेक या ड्राफ्ट का इंतजार करने और उसके मिलने के बाद बैंक जाकर जमा करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। घोष का कहना है कि खाते में राशि सीधे जमा होने से बीमा कंपनियों के लिए पूरी प्रक्रिया पर नजर रखना आसान हो जाएगा जो उनके लिए भी फायदेमंद होगा। वहीं सिक्योरनाऊ इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कपिल मेहता का कहना है कि बीमा पॉलिसी के तहत कई तरह की स्कीम शामिल होती हैं जिसमें बीमा के साथ निवेश, बीमाधारक की मृत्यु पर मिलने वाली राशि, पॉलिसी बीच में खत्म करने पर मिलनी वाली सरेंडर वैल्यू या तय अवधि पर भुगतान वाली स्कीम में मिलने वाली शामिल होती है। इन सभी मामलों में खाते में सीधे भुगतान होने से सारी प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी और बीमाधारक या उसके नॉमिनी (नामित व्यक्ति) को भी भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी।

इलस्ट्रेशन : सुदर्शन मलिक

एक नजर

01 अक्तूबर से सीधे खाते में जमा होगी बीमा राशि

25 हजार रुपये से कम राशि के लिए ई-ट्रांसफर जरूरी नहीं

01 रुपये से अधिक बिना दावे वाली राशि की वेबसाइट पर मिलेगी जानकारी

31 जनवरी 2015 तक बीमा कंपनियों को करना होगा इंतजाम

कॉपरेटिव और ग्रामीण बैंक दायरे से बाहर

इरडा के दिशा-निर्देश के मुताबिक यदि बीमाधारक ने बीमा पॉलिसी में कॉपरेटिव बैंक या ग्रामीण बैंक का खाता नंबर दिया है तो वह इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के दायरे से बाहर रहेगा क्योंकि इनमें ज्यादातर बैंकों में इसकी सुविधा नहीं है।

जानकारों का मानना है कि सीधे खाते में बीमा से संबंधित राशि जमा करने के लिए 25,000 रुपये की सीमा तय करना भी इसका आकर्षण कम कर सकता है। कपिल मेहता का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर वाले बैंक खाते की सुविधा के साथ जीवन बीमा पॉलिसी का औसतन सालाना प्रीमियम 15,000 रुपये है। ऐसे में 25,000 रुपये तक की राशि को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की सुविधा के दायरे से बाहर रखने की स्थिति में बड़ी संख्या में उपभोक्ता इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। उनका कहना है कि अधिक से अधिक लोगों को इसके दायरे में लाने के लिए इसकी सीमा घटानी चाहिए। इरडा की वित्त वर्ष 2023-14 की रिपोर्ट के मुताबिक जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के मामले में एजेंट के माध्यम से बेची गई जीवन बीमा पॉलिसी का औसतन प्रीमियम 11,143 रुपये और कॉर्पोरेट एजेंट द्वारा बेची गई पॉलिसी का औसतन प्रीमियम 24,123 रुपये था। वहीं निजी जीवन बीमा कंपनियों के मामले में यह क्रमशः 24,457 रुपये और 33,562 रुपये था।

mint

A Joint Venture of
Bank of Baroda Legal & General ANDHRA BANK